कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-mail :nodalofficerddn@gmail.com Phone/ Fax: 0135-2767611

पत्रांकः 3099 /FP/UK/HYD/119861/2021 दिनॉकःदेहरादूनः 27 जून, 2022

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
अल्मोड़ा।

विषय– जनपद–पिथौरागढ में तहसील मुनस्यारी अन्तर्गत प्रस्तावित सिरकारी भ्यौल रूपसियाबगड़ जल विद्युत परियोजना के नव निर्माण हेतु 29.997 है0 वन भूमि का यू0जे0वी0एन0लि0 को 30 वर्षों की लीज पर दिये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः–आपकी पत्र संख्या–5487/12–1(2) दिनांक 09–06–2022

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रकरण की हार्ड प्रतियां इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है। हार्ड प्रतियों के गहन अवलोकन करने के पश्चात् निम्न प्रकार प्रस्तावों में अपूर्णता दृष्टिगत हो रही है, जिसका निराकरण किया जाना तत्काल आवश्यक है। प्रस्ताव में इंगित कमियां निम्न प्रकार हैं :–

1. प्रस्ताव के ऑनलाईन पार्ट–I के पैरा–A(x) में वन भूमि 29.99 वर्षों हेतु लीज पर लिये जाने की सूचना अपलोड की गयी है, जबकि प्रस्ताव में संलग्न प्रपत्र–43 लीज अवधि के प्रमाण–पत्र में वन भूमि 35 वर्षों की लीज पर ली जानी प्रस्तावित है। संलग्न प्रपत्र के अनुसार सही सूचना प्रस्ताव में अपलोड करें।
2. प्रस्ताव के ऑनलाईन पार्ट–I के पैरा–D(i) में Alternate Alignment detail की सही सूचना अपलोड करें।
3. प्रस्ताव में ऑनलाईन भरे गये पैरा–E में परियोजना निर्माण से 1000 पद सृजित होना अंकित किया गया है। कृपया स्पष्ट करें कि क्या परियोजना निर्माण से वास्तविक रूप से 1000 पदों का सृजन हो रहा है अथवा नहीं, उक्त सम्बन्ध में स्पष्ट सूचना प्रेषित करने का कष्ट करें।
4. प्रस्ताव में संलग्न विषय सूची के अनुसार सम्बन्धित प्रपत्रों को उनके नाम के साथ पृथक से ऑनलाईन पार्ट–I के additional information में अपलोड करने का कष्ट करें।
5. प्रस्ताव में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल की DSS Analysis की रिपोर्ट अपलोड नहीं की गयी है। उपरोक्त हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 2044/1–42(III) दिनांक 22–02–2022 एवं शासन के पत्रांक 290/X-3-22/5(03)2019 के द्वारा पूर्व में लिखा गया है। अतः DSS Analysis की रिपोर्ट अपनी संस्तुति सहित प्रस्ताव में अपलोड करने का कष्ट करें।
6. प्रस्ताव में संलग्न प्रभावित वृक्षों की सूची में वृक्षों का वैज्ञानिक नाम, सामान्य नाम एवं इंग्लिश नाम सहित व्यासवार एवं प्रजातिवार सूची प्रस्ताव में संलग्न करने का कष्ट करें।
7. प्रस्तावित परियोजना का विस्तृत कैट प्लान ऑनलाईन अपलोड करते हुये प्रस्ताव में संलग्न करें।
8. प्रस्ताव में संलग्न प्रपत्र–33 में लाभान्वित ग्रामों की संख्या–7 अंकित की गई है, जबकि ऑनलाईन भरे गये पार्ट–1 में लाभान्वित ग्रामों की संख्या–01 दर्शायी गयी है। कृपया प्रस्ताव में लाभान्वित ग्रामों की सही सूचना अपलोड करें।
9. प्रस्ताव में वन अधिकार अधिनियम, 2005 से सम्बन्धित उपखण्ड स्तीय समिति की बैठक का कार्यवृत्त संलग्न नहीं किया गया है। कृपया वन अधिकार अधिनियम से सम्बन्धित पूर्ण अभिलेख एवं आम सभा के अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्ताव में संलग्न करें।
10. प्रस्तावित परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति प्रस्ताव में संलग्न करने का कष्ट करें।
11. प्रस्ताव में संलग्न प्रपत्र–16 में 03 बांज वृक्षों का पातन निहित है। प्रस्ताव में वन संरक्षक द्वारा भरे जाने वाले प्रमाण–पत्र में वन संरक्षक के हस्ताक्षर अपेक्षित है।

अतः उपरोक्त कमियों का निराकरण करने हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी/प्रभागीय वनाधिकारी को अपने स्तर से निर्देशित करते हुये **(प्रस्ताव इस कार्यालय से वापस प्राप्त कर) कमियों का पूर्ण निराकरण करवाकर इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।**

भवदीय,

(डा0 कपिल जोशी)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, देहरादून।

c/c

संख्याः— 3099/FP/UK/HYD/119861/2021 दिनॉकित।

1. **प्रतिलिपि** :— प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़ को इस आशय के साथ प्रेषित कि **प्रस्ताव में इंगित कमियों का प्रस्तावक विभाग से पूर्ण निराकरण कर प्रस्ताव इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।**

2. **प्रतिलिपि** :— अधिशासी अभियन्ता, सि0भ्यौ0रूप0परि0, यू0जे0वी0एन0 लि0, मुनस्यारी, पिथौरागढ़ को इस आशय से प्रेषित कि **उपरोक्तानुसार कमियों का निराकरण करने हेतु प्रस्ताव इस कार्यालय से वापस प्राप्त कर लेवें एवं इंगित कमियों का पूर्ण निराकरण कर वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी/वन संरक्षक के माध्यम से** इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(डा0 कपिल जोशी)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, देहरादून।

O/C